प्रेस नोट
दिनांक 28.04.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–321/25, धारा 191(2),190,352,115(2),333,109 बीएनएस से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों–01. अभिषेक उर्फ शुभम पुत्र लालू उर्फ लल्लू, 02. गीता सिंह पत्नी लालू उर्फ लल्लू निवासीगण दत्त नगर विसेन थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 27.04.2025 को वादिनी श्रीमती पायल सिंह पुत्र जितेन्द्र प्रताप सिंह नि0 दत्तनगर विसेन थाना को0 नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीगणों द्वारा आपसी विवाद के चलते जानलेवा हमला करते हुए मारा–पीटा गया है। वादिनी की लिखित तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 28.04.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त अभिषेक उर्फ शुभम को दत्तनगर विसेन प्राइमरी विद्यालय के पास से व अभियुक्ता गीता सिंह को इमरती विसेन रेलवे लाइन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. अभिषेक उर्फ शुभम पुत्र लालू उर्फ लल्लू नि0 दत्त नगर विसेन थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. गीता सिंह पत्नी लालू उर्फ लल्लू नि0 दत्त नगर विसेन थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–321/25, धारा 191(2),190,352,115(2),333,109 बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 रजनीश द्विवेदी।
02. हे0का0 महेश कुमार।
03. का0 राजेश कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट,
दिनांक 28.04.2025

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा मारपीट के दौरान गम्भीर चोट पहुंचाने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–26/25, धारा 118(1),118(2),131,352 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गोला गुप्ता उर्फ मणिजीत कुमार गुप्ता पुत्र अरूण कुमार गुप्ता उर्फ मुन्नूलाल नि0 ग्राम मोहल्ला शास्त्री नगर थाना इकौना जनपद श्रावस्ती को कस्बा इकौना बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 08.02.2025 को वादी पंकज पुत्र फूलचन्द्र नि0 मोहल्ला कटहरिया दक्षिणी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 07.02.2025 को उनका भाई सूर्य उत्सव मैरिज हाल में सोनी कैट्रर्स की तरफ से स्टाप के रूप में गया था। विपक्षी गोला गुप्ता उर्फ मणिजीत कुमार गुप्ता द्वारा खाने के आइटम को लेकर कैट्रर्स मालिक शंभू सोनी के साथ मारपीट की जा रही थी बीच बचाव के दौरान विपक्षी गोला गुप्ता उर्फ मणिजीत कुमार गुप्ता द्वारा मेरे भाई को धक्का दे दिया जिससे मेरा भाई बगल में बन रहे पूड़ी के कड़ाहा में गिर गया जिससे उसको गम्भीर चोटे आयी है जिसका ईलाज आर0एन0 हॉस्पिटल में चल रहा है। वादी की तहरीर पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 28.04.2025 को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त गोला गुप्ता उर्फ मणिजीत कुमार गुप्ता को इकौना बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. गोला गुप्ता उर्फ मणिजीत कुमार गुप्ता पुत्र अरूण कुमार गुप्ता उर्फ मुन्नूलाल नि0 ग्राम मोहल्ला शास्त्री नगर थाना इकौना जनपद श्रावस्ती।

पंजीकृत अभियोग–

01- मु0अ0स0–26/25, धारा 118(1),118(2),131,352 बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. व0उ0नि0 पंकज कुमार।
02. हे0का0 राजकिशोर।
03. हे0का0 धनन्जय सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 28.04.2025

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से हत्यभियुक्त को हुई सश्रम आजीवन कारावास व रूपए 1,50,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 05.09.2020 को थाना को0 नगर क्षेत्रान्तर्गत मकान नं0 517 आवास विकास कालोनी के रहने वाले पंकज यादव पुत्र स्व0 राममूर्ति यादव द्वारा अपनी भाभी, भतीजो व मां को बांके से मारपीट कर घायल कर दिया था। जिससे उसकी भाभी की मौत हो गयी थी। अभियुक्त के भाई भानू प्रताप यादव की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें थाना को0 नगर पुलिस द्वारा घटना कारित करने के आरोपी अभियुक्त पंकज यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक निरीक्षक श्री आलोक राव द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 01.10.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे अपर एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री राजेश कुमार तृतीय, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री अमित पाठक, कोर्ट मोहर्रिर का0 शिवपाल व थाना को0 नगर के पैरोकार हे0का0 अशोक कुमार के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 28.04.2025 को दोषी अभियुक्त पंकज यादव को सश्रम आजीवन कारावास व 1,50,000/– रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का नाम पता–

01. पंकज यादव पुत्र स्व0 राममूर्ति यादव नि0 मकान नं0 517 आवास विकास कालोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–

01. मु0अ0सं0–657/20 धारा 302,307 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।